

५८

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 47 / अपर सचिव / जोन-1 / प्रस्ता० / 2012-13 दिनांक ५१/१०/२०१२

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती नौशाद बानो सिद्दीकी पत्नी श्री जमाल अहमद एवं श्रीमती साजिया तवस्सुम पत्नी जावेद अहमद खॉन स्थल नजूल प्लाट नं०-W सिविल स्टेशन, उपविभाजित भूखण्ड संख्या-W-19 ताशकन्द मार्ग इलाहाबाद (क्षेत्रफल 158.84 वर्गमीटर) जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 01 वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही किया जाय, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा प्रेषित अनापत्ति पत्र सं०-डी०-८८७/न०आ०-मु०अधि०/१२ दिनांक 11.10.2012 में अंकित प्रतिबन्धो (छायाप्रति संलग्न) जो मुख्यतः निम्नवत् है का अक्षरशः अनुपालन करना होगा :-
  - A. भवन के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। प्रासंगिक स्थल पर सड़क के दोनों तरफ नाली नहीं है, नाली बनाये जाने का व्ययानुमान रु० 75,000.00 आगणित किया गया है, जिसे भू-स्वामी को वहन करना होगा।
  - B. भवन निर्माण कराते समय किसी भी अवस्थापना सुविधा की क्षति होने पर उसका मरम्मत एवं निर्माण भवन स्वामी द्वारा कराया जायेगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।

Continued

११२१६ ब।।

३१-१०-१२

